



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2018/फाल्गुन 24, 1939

No. 142]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2018/PHALGUNA 24, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2018

सं. 8/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 232(अ.)—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात् जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “ओफ्लाक्सासिन” जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात् जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3004 20 34 के अंतर्गत आता है, के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/06/2016-डीजीएडी, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017, जिसे 22 दिसम्बर, 2017 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कि,

- i. प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देश से समान मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण इसकी यहां भरमार हो गई;
- ii. विषयगत देश से आयातित इस प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- iii. यह सारवान क्षति विषयगत देश से हुए भारी आयात के कारण हुई है;

और जहां कि घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात् एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपादन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3004 20 34	ओफ्लाक्ससिन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	झेजियांग ईस्ट एशिया फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड	झेजियांग ईस्ट एशिया फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड	6.86	कि.ग्रा.	अम.डॉ.
2	3004 20 34	ओफ्लाक्ससिन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	झेजियांग एपेलोवा कांगियू फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड	झेजियांग एपेलोवा कांगियू फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड	2.58	कि.ग्रा.	अम.डॉ.
3	3004 20 34	ओफ्लाक्ससिन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क्रम सं. 1 और 2 से भिन्न अन्य संयोजन	क्रम सं. 1 और 2 से भिन्न अन्य संयोजन	9.48	कि.ग्रा.	अम.डॉ.
4	3004 20 34	ओफ्लाक्ससिन	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	कोई भी	9.48	कि.ग्रा.	अम.डॉ.
5	3004 20 34	ओफ्लाक्ससिन	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	9.48	कि.ग्रा.	अम.डॉ.

2, लगाए गए या प्रतिपादन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/59/2018 –टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department Of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2018

No. 8/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 232(E).—Whereas, in the matter of import of ‘Ofloxacin’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under the tariff item 3004 20 34 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification number 14/6/2016-DGAD, dated the 22nd Decembe, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22nd December, 2017, has come to the conclusion that—

- (a) the product under consideration has been exported to India from the subject country below its normal value, resulting in dumping;
- (b) the domestic industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject country;
- (c) the material injury has been caused by the dumped imports from the subject country,

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table:

TABLE

S. No.	Tariff item	Description of goods	County of origin	County of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit of Measure	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3004 20 34	Ofloxacin	China PR	China PR	Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co. Ltd	Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co. Ltd	6.86	Kg	US\$
2	3004 20 34	Ofloxacin	China PR	China PR	Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Company Limited	Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Company Limited	2.58	Kg	US\$
3	3004 20 34	Ofloxacin	China PR	China PR	Any other combination other than S.N. 1 & 2	Any other combination other than S.N. 1 & 2	9.48	Kg	US\$
4	3004 20 34	Ofloxacin	China PR	Any	Any	Any	9.48	Kg	US\$

5	3004 20 34	Ofloxacin	Any	China PR	Any	Any	9.48	Kg	US\$
---	------------	-----------	-----	-------------	-----	-----	------	----	------

2. The anti-dumping duty imposed shall be effective for a period of three years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 354/59/2018 –TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.